

18

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2020

रायपुर, दिनांक

/

/2020

//कार्यालय-आदेश//

आदेशानुसार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर के आदेश क्रमांक 555/एस.डब्ल्यू./2020 दिनांक 19.09.2020 द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को रोकने के लिये तथा इस पर नियंत्रण हेतु संपूर्ण रायपुर जिला को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिनांक 21.09.2020 रात्रि 9.00 बजे से दिनांक 28.09.2020 के रात्रि 12.00 बजे तक की अवधि हेतु लॉकडाउन निर्धारित की गई है।

अतएव नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के फैलाव के रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का संचालन दिनांक 22 सितम्बर, 2020 से 28 सितम्बर, 2020 तक की अवधि में नहीं किया जावेगा।

आदेश से,

अपर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक

10188

/वि.स./स्था./2020

प्रतिलिपि

रायपुर, दिनांक 21/9/2020

01. मा. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मा. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मा. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मा. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. मा. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मा. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
04. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
06. सर्वर कक्ष।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा